

मैनुअल संख्या: 8 [धारा 4(1)(ख)(viii)]

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।

(1) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम :-

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त राज्य सलाहकार समिति के संचालन एवं बैठकों हेतु आयोग द्वारा विनियम, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग(राज्य सलाहकार समिति) विनियम 2004 अधिसूचित किया गया है।

(2) रचना :-

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(2) के अनुसार राज्य सलाहकार समिति में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य नामांकित किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य हैं तथा उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा तथा खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सलाहकार समिति के पदेन सदस्य हैं।

(3) तारीखें जिनसे गठन हुआ :-

आयोग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2026 के द्वारा वर्तमान में गठित समिति का गठन किया गया है।

(4) अवधि/कार्यकाल :-

आयोग के विनियम, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग(राज्य सलाहकार समिति) विनियम 2004 की नियम-3 के अन्तर्गत समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल गठन की अधिसूचना से 01 वर्ष के लिए निर्धारित है।

(5) शक्तियाँ और कार्य :-

विद्युत सलाहकार समिति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न पर आयोग को सलाह दिये जाने का प्राविधान है:-

- (i) नीति के मुख्य प्रश्नों पर;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विस्तार से सम्बन्धित मामलों पर;
- (iii) उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालना पर;
- (iv) उपभोक्ता हित के संरक्षण पर;
- (v) सेवाओं द्वारा पालन के सभी मानकों और विद्युत प्रदाय पर।

(6) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?:-

विद्युत सलाहकार समिति के सदस्यों की बैठक एक निश्चित अन्तराल पर आयोजित की जाती है। जिसमें केवल समिति के सदस्यों द्वारा ही भाग लिया जा सकता है।

(7) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं?:-

विद्युत सलाहकार समिति की बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक समिति के सदस्य को प्रेषित किया जाता है तथा कार्यवृत्त की प्रति आयोग कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

(8) वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हैं? :-

विद्युत सलाहकार समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति आयोग कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।